रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक

रिपोर्ट पटवारी: [illegible] की जमाबन्दी सम्वत 2020-2021 में खाता सं. 213 के [illegible] खातेदार [illegible] के नाम दर्ज [illegible] बोली [illegible] रिकार्ड में [illegible] दर्ज है [illegible] से [illegible] की जगह गलत [illegible] खाता सं. 213 में गणपतराम की जगह गलतदास व जाति बोली की जगह [illegible] दर्ज [illegible] सुधार किया जाना उचित है। रिपोर्ट लेना है जमाबन्दी

(जितेन्द्र गहलोत)
पटवारी
लूनकरणसर

कुलांकित कार्यालय पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर जाति सुधार किया जाना उचित है।

10/6/2022
GLR-दूसरा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

इस रिपोर्ट पटवारी-IUR एवं प्रार्थी के पहचान दस्तावेजानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित पिता का नाम "गणपतराम" के स्थान पर "गणपतदास" तथा जाति "बैरागी" की जगह "स्वामी" संशोधन करने की अनुशंसा की जाती है।

आदेश

GCMS-2022/87

(14) पत्रावली तहसीलदार रिपोर्ट/अनुशंसा प्राप्त होने पर पेश हुई। अनुसार पटवारी/भू. अभि./तहसीलदार अनुशंसा रायन रिकार्ड में अंकित पिता का नाम "गणपतराम" के स्थान पर "गणपतदास" तथा जाति "बैरागी" के स्थान पर "स्वामी" दुरुस्ति के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली निर्णित होकर दस्तावेज [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 16:34:46 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

भूनं. 31/3/2022
37/2022